

ITICAT-ऑनलाइन काउन्सेलिंग की प्रक्रिया

बी.सी.ई.सी.ई., बोर्ड द्वारा आयोजित की जानेवाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर मेधा-सह-विकल्प के अनुसार सीट आवंटन के लिये काउन्सेलिंग Offline mode से की जाती है। अब इस काउन्सेलिंग को Online mode द्वारा आयोजित किये जाने की Planning है।

Online Counselling के लिये निम्नवत् प्रक्रिया को अपनाने की व्यवस्था वांछित होगी ;

- (i) Online Counselling के लिये Valid अभ्यर्थियों का Registration / Option।
- (ii) प्राथमिकता अनुसार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / आरक्षण कोटिवार Option list प्रत्येक Valid registered candidate द्वारा जमा करना।
- (iii) प्राथमिकता अनुसार Final option list LOCK करना।
- (iv) BCECE, Board के Requirements और आवंटन प्रक्रिया के अनुसार Online Counselling mode से Seat allotment के लिये उपयुक्त software तैयार करना।
- (v) प्राथमिकतानुसार अन्तिम Option list के आधार पर मेधाक्रमवार Seat आवंटन करना।
- (vi) Provisional seat allotment order उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- (vii) BCECE Board द्वारा निर्धारित Rules / Regulations के अनुसार जिन अभ्यर्थियों को Provisional seat allotment हो गया, उनके documents / Identity की सम्यक जाँच करना
- (viii) अभ्यर्थी / संस्थान द्वारा नामांकन की सम्पुष्टि करना।
- (ix) First round online counselling के आधार पर नामांकन उपरान्त Vacant Seats पर 2nd round online counselling / allotment किया जायेगा।
- (x) Allotment Remarks field में Allotted Candidate के Status जैसे (against UR Seat / UR against Category Seat Jump Over / Category against UR Seat Compensation / against Category / on SMQ/ST/SC/EBC/BC) किया जायेगा

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, पर्षद
परीक्षावार नामांकन हेतु सीट आवंटन की प्रक्रिया

1. परीक्षा का नाम - ITICAT-2019
2. मेधा सूची - (i) District wise

1. (A) आई.टी.आई. के लिये वांछित योग्यतायें / अर्हतायें :-

(i) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति या सी.बी.एस.ई. द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा में गणित एवं विज्ञान के साथ उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा में गणित भौतिकी एवं रसायन विज्ञान एवं अलग-अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है ।

(ii) दिनांक 01.08.2019 को न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए तदनुसार अभ्यर्थी की जन्म तिथि 01.08.2005 के बाद नहीं होनी चाहिए । मेकैनिक मोटर व्हिकिल एवं मेकैनिक ट्रैक्टर के लिये उक्त तिथि को न्यूनतम 17 वर्ष की आयु अनिवार्य है । अधिकतम आयु का बंधन नहीं है ।

2. (A) सीटों का आवंटन जिलावार मेधा सूचीवार / संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीट वितरण विवरणी के अनुसार मेधा-सह-विकल्प के आधार पर किया जायेगा । सीटों की जिलावार संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीट वितरण विवरणी तथा Merit-list पर्षद द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी । एक जिला में एक या एक से अधिक आई.टी.आई. हो सकते हैं । Jumpover एवं Compensation जिलावार होगा ।

(B) महिलाएं अपने जिला के आई.टी.आई एवं किसी भी जिले के महिला आई.टी.आई. के लिये अर्हता प्राप्त है । इसलिये महिला आई.टी.आई. में Jumpover एवं Compensation पूरे राज्य के महिला आई.टी.आई. में होगा ।

3. सीटों के आवंटन में बिहार के आरक्षण के नियमों के अनुसार अनारक्षित कोटि को कुल सीट का 40%, अनुसूचित जनजाति को 1%, अनुसूचित जाति को 16%, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 18%, पिछड़ा वर्ग को 12% , आरक्षित वर्ग के महिला 03%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% [Reserved for economically Weaker Sections(EWS)], दिव्यांग के लिये 5% जो कुल सीटों में सम्मिलित है तथा इसके साथ सैनिक कर्मचारी कोटा जो कुल सीटों के अतिरिक्त है, का भी आवंटन होता है।

Note: (a) Seats under EWS Category are for those candidates of General (UR) category who are not covered under any reservation category i.e. ST, SC, EBC, BC & RCG.

(b) Seats under DQ Category Candidates are included in their respective Category

4. अभ्यर्थियों को आरक्षण कोटि के निम्न क्रम में संस्थानवार / पाठ्यक्रमवार / कोटिवार सीट वितरण विवरणी के अनुसार (उदाहरण स्वरूप बी.सी.ई.सी.ई.-2018 की विवरणी संलग्न है) सीट आवंटन किया जाता है।

Disabled Quota (DQ)

Service Men's Quota (SMQ)

Unreserved

ST

SC

EBC

BC

RCG

EWS

5. सीटों का आवंटन उपरोक्त वर्णित क्रम के अनुसार एवं Merit-cum-Choice के आधार पर ही किया जाना है ।

(i) दिव्यांग कोटा - चूँकि DQ. Category की सीटें उपलब्ध Total Seat में ही समाहित रहती है ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी जिस अनारक्षित / आरक्षित कोटि से सम्बन्धित होते हैं, उन्हें उसी अनारक्षित / आरक्षित के सीट पर आवंटन किया जाता है । (उदाहरण स्वरूप यदि DQ Category का कोई अभ्यर्थी BC कोटि का है, तो उसे BC कोटि की सीट पर आवंटन होगा ।) आरक्षित कोटि में सीट नहीं रहने पर Unreserved सीट पर आवंटन किया जाता है ।

वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम DQ. Category के अतिरिक्त, सामान्य कोटि या आरक्षित कोटि के Result में हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका आवंटन पहले DQ. Seat पर merit-cum-choice के आधार पर होगा । उसके बाद उसी अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि / आरक्षित कोटि की काउन्सेलिंग में यदि DQ Counselling से आवंटित कोर्स से कोई Better Choice मिलता है तो उसको सीट आवंटित होगा, नहीं तो उनका DQ-Counselling में आवंटित सीट यथावत रह जायेगी । यदि उनका आवंटन DQ Counselling में होने के पश्चात् अन्य (सामान्य / आरक्षित) कोटि में होता है, तो ऐसी स्थिति में छोड़ी गयी DQ का सीट DQ Category से ही भरी जायेगी । (**Minimum Disability percentage 40 % and above**)

(ii) सैनिक कोटा- चूँकि ITICAT में सैनिक कोटा की सीटें अतिरिक्त होती हैं, इसलिये सैनिक कोटा के अभ्यर्थी SMQ के अतिरिक्त सीट पर ही आवंटित होंगे ।

(iii) अगर किसी अभ्यर्थी का UR कोटि या संबंधित आरक्षित कोटि में DQ अथवा SMQ कोटि

से आवंटित सीट से better preference मिलता है तो उसे UR अथवा आरक्षित कोटि से सीट दे दें एवं Alloted-Remarks field को Update कर उनके द्वारा लिए गए DQ अथवा SMQ Seat को रिक्त कर संबंधित Seat को Update करें एवं Allotment प्रक्रिया को दुबारा फिर से Sequence अनुसार शुरू करें। इस विधि से No. of Iteration बढ़ सकती है ।

(iv) **Unreserved (अनारक्षित) कोटि** :- अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिये Course / Institution का आवंटन **Merit-Cum-Choice** के आधार पर उनके द्वारा Registration की गयी Option list के अनुसार किया जायेगा ।

(v) **Reserved for Economically Weaker Section (EWS)** :- ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के लिए किये गए आरक्षण प्रावधानों से आच्छादित नहीं हैं, की पहचान, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में आरक्षण के लाभ के लिए की जायेगी ।

(vi) अनारक्षित कोटि की Merit List में आरक्षित कोटि के जो अभ्यर्थी अपने Merit के अनुसार सम्मिलित रहते हैं, उनको Meritorious Reserved Candidate अर्थात् MRC Candidate कहा जाता है । ऐसे MRC अभ्यर्थियों को यदि अनारक्षित कोटि में choice के अनुसार सीट उपलब्ध नहीं है तो वांछित Choice के लिये उनसे सम्बन्धित आरक्षित कोटि की वांछित सीट का आवंटन कर दिया जाता है । इस प्रकार के Case को MRC Candidate द्वारा Jump Over Case कहा जाता है । इस प्रकार एक Jump Over के लिये अनारक्षित कोटि की एक सीट नीचे से Compensation के लिये Block रखी जाती है ।

MRC Girls अभ्यर्थियों का सीट आवंटन Course / Institution क्रमशः अनारक्षित उनके सम्बन्धित आरक्षित कोटि तथा RCG कोटि में उनके Preference एवं मेधा क्रमानुसार सीटों की उपलब्धता अनुसार की जायेगी । यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि RCG का Compensation, Reserved Category यथा ST, SC, EBC, BC से नहीं होगा । Compensation केवल UR to RCG होगा ।

यदि ST,SC,EBC,BC,RCG और EWS कोटियों में MRC Jump के कारण अनारक्षित कोटि में नीचे से कोटिवार Block की गई सीटें क्रमशः $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ हो तो कुल Block सीटें X_T होंगी जबकि;

$$X_T = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 + X_6$$

UR Category के काउन्सेलिंग में जब Total Category का Jump Over Seat, UR (Seat) के Block सीटों के बराबर हो जाती हैं तो वैसी स्थिति में जिस मेधा क्रम पर सीटें बराबर हो जाती हैं उस UR कोटि के मेधाक्रम के नीचे UR में प्रकाशित Result के विरुद्ध कोई आवंटन नहीं किया जायेगा।

पुनः इसके बाद Category में प्रकाशित मेधा सूची के अनुसार आवंटन प्रारंभ होगा ।

(vii) **आरक्षित कोटि** :- आरक्षित कोटि के अभ्यर्थियों के लिये उनकी सम्बन्धित आरक्षण कोटि की Merit List से मेधा क्रम के अनुसार Option list की प्राथमिकता आधारित Course / Institution आवंटित किया जायेगा ।

उपरोक्त सीट आवंटन के लिये उपलब्ध सीटें निम्नवत् होंगी ।

Category	Seat available for option	No. of Seats to be allotted
ST	Available Vacancies in ST Category + X_T	Available Vacancies + X_1
SC	Available Vacancies in SC Category + $(X_T - X_1)$	Available Vacancies + X_2
EBC	Available Vacancies in EBC Category + $(X_T - X_1 - X_2)$	Available Vacancies + X_3
BC	Available Vacancies in BC Category + $(X_T - X_1 - X_2 - X_3)$	Available Vacancies + X_4
RCG	Available Vacancies in RCG Category + $(X_T - X_1 - X_2 - X_3 - X_4)$	Available Vacancies + X_5
EWS	Available Vacancies in EWS Category + $(X_T - X_1 - X_2 - X_3 - X_4 - X_5)$	Available Vacancies + X_6

6. First round of Counselling के पश्चात् विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा Vacancy Position सीधे NIC के Portal पर उपलब्ध कराई जायेगी । किसी अभ्यर्थी का Category differ होने के कारण Category का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, लेकिन अगले round के Counselling में मेधा-सह-विकल्प के आधार पर उन्हें UR की सीट आवंटित की जा सकेगी ।
7. प्रत्येक Round की Allotment प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात् NIC द्वारा विभिन्न प्रकार के Report को Generate करना अनिवार्य है । पर्षद द्वारा Generate किये जा रहे विभिन्न प्रकार के Report की छायाप्रति आपके सहज संदर्भ हेतु इस कॉउन्सेलिंग प्रक्रिया की विवरणी के साथ संलग्न है । आवश्यकतानुसार नए प्रकार के Reports यथा ; Category wise / Institution wise / Course wise cut-off Rank तथा Updated Seat Vacancy Position आदि भी तैयार करवाई जा सकती है ।